भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 826

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को दिया गया)

<u>महाराष्ट्र के महानगरों में सी.एस.आर. के कार्यकलाप</u>

826. श्री अजय संचोती :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट क्षेत्र द्वारा पालन किए जाने वाले सामाजिक दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश मौजूद है;

(ग) कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत महाराष्ट्र के महानगरों में कारपोरेट क्षेत्र द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कारपोरेट क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का मुआवजा करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : वर्ष 2014-15 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। कारपोरेट क्षेत्र द्वारा चलाए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों से संबंधित ब्यौरे कंपनियों द्वारा वर्ष 2015 के अंत में किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक सांविधिक प्रकटीकरणों के पश्चात् ही उपलब्ध होने की आशा है।

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 अधिसूचित किए गए हैं, और इनमें कंपनियों के बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित रिपोर्ट के लिए प्रपत्र भी शामिल है।

*****